FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0148 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/06/2025 20:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 28/05/2025 Date To (दिनांक तक): 11/06/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:30 बजे Time To (समय तक): 15:19 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/06/2025 Time (समय): 16:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/06/2025 20:33:55 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 135 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): BHERARAM VAKEEL KA, OFFICE MAKWANA LAW CHEMBER

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)): फलौदी(RAJASTHAN)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): KANA RAM
(b) Father's Name (पिता का नाम): ANDARAM
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1989 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JATAWASH, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JATAWASH, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RADHAKRISHNA		पिता:GORDHANRAM VISHNOI	1. HAAL ASI POLICE THANA, PHALODI DISTRICT,फलौदी, RAJASTHAN,INDIA
2	BHERARAM		पिता:HEMARAM MEGHWAL	1. HAAL HANUMAN MANDIR ROAD,INDRA COLONI,फलौदी, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर,
विषयः- रिश्वत मांगने के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत।
महोदयजी,

उपरोक्त विषय के क्रम मे कानाराम पुत्र अण्दाराम जाती भील पैसा मजदूरी निवासी जाटावास लोहावट जिला फलौदी निवेदन करता हू कि दिनांक 18.3.2025 को मेरी बहिन किसना जो कि अपने पति को छोडकर फलोदी के मुसलमान लडके साथ रहती है ने मेरे पिताजी व मेरे बहनोई श्री कालुराम व अन्य के विरूद्ध मुकदमा पुलिस थाना फलौदी मे दर्ज करा रखा है। जिसकी जांच फलौदी थाने के ऐएसआई श्री राधाकिशन कर रहे है जिनोने मुझे व मेरे परीजनो को अन्य को फलोदी के वकील भेराराम के पास बुलाया। हम लोग वकिल भैराराम के पास दिनांक 26.5.25को फलोदी के भेराराम के कार्यालय पहुचे जहा पर भैराराम वकील उपस्थित मिला जिसके कहने पर मैने अपने फोन से एएसआई राधाकिशन को फोन लगा कर बात की तो उसने कहा कि मै भेराराम के कार्यालय पर ही आ रहा हू। थोडी देर बाद ऐएसआई राधाकिशन वकील भेराराम के कार्यालय पहुचा। तथा हमे कहा कि आप लोग वकिल साहब से जमानत के कागजात तैयार करावो बाद मे बात करते हे थोडी देर बाद रूककर ऐएसआई ने मुझे भैराराम वकील के सामने ही कहा कि आपकी जमानत का काम नही पडेगा यदि आप 50,000 रूपये की व्यस्था करते हो तो मै आपके मुकदमे मे एफआर लगा दूंगा तथा उक्त राशि भैराराम जी वकील साहब को दे देना अब आप आगे की बात भेराराम वकील से ही करना। जिस पर मैने राशि कम करने का निवेदन किया तो वह 30,000 रू लेने के लिये सहमत हुआ। मै ऐएसआई राधाकिशन एव वकील भैराराम को रिश्वत नही देकर उसकी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाकर कानूनी कारवाई करवाना चाहता हू। मेरी ऐएसआई राधाकिशन व वकील भैराराम से केाई दुशमनी या लेनदेन बकाया नही है कानूनी कार्यवाही करावे।
दिनांक 28.5.2025

भवदीय
कानाराम पुत्र श्री अण्दारामजाति
भील उम्र 36 वर्ष निवासी
जाटावास लौहावट जिला फलोदी
मो. न.- [redacted]

एस.डी. श्री रमेश सीरवी 11.06.2025 | एस.डी पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस | एस.डी. ओमप्रकाश चैधरी

एस.डी. प्रकाशगिरी
11.06.2025

कार्यवाही पुलिस
कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेषल यूनिट जोधपुर
दिनांक 28.05.2025 समय 0230 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री कानाराम पुत्र श्री अणदाराम जाति भील उम्र 36 वर्ष निवासी जाटावास लोहावट जिला

फलौदी ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन् ओमप्रकाश चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों की पेश की एवं दरियाफ्त पर बताया कि मेरे विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज मुकदमे मे एफआर लगाने एव मदद करने की एवज मे एएसआई राधाकिशन 50,000 रूप्ये रिश्वत मांग रहा है जो राशि सीधे नही लेकर वकील श्री भेराराम के मार्फत प्राप्त करेगा, वकील श्री भेराराम से मै मिला तो भेराराम ने भी मेरे मुकदमे मे एफआर लगाने की एवज मे अपने स्वयं के लिये एव मुकदमे के अनुसंधानकर्ता श्री राधाकिशन एएसआई के लिये 50,000 रूप्ये रिश्वत के तौर पर मांगे जा रहे है। वगैरा रिपोर्ट एव दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीगर राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण अग्रिम रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने एव अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करने हेतु श्री पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर कार्यालय मे उपस्थित परिवादी श्री कानाराम का परिचय निरीक्षक पुलिस से करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कानाराम को अपने कार्यालय कक्ष में साथ लेकर आया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई। परिवादी ने रिपोर्ट मे अंकित समस्त तथ्य सही होना एव उक्त रिपोर्ट स्वयं की हस्तकलमी होकर रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। ताबाद कार्यालय के ही कानि श्री प्रकाश 265 की मन निरीक्षक पुलिस के कक्ष मे उपस्थिति प्राप्त कर बुलाने के मंतव्य से अवगत कराकर परिवादी कानाराम एव प्रकाश कानि का आपस मे परिचय करवाया जाकर दोनो के मोबाईल नम्बर का आपस मे आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाॅयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड निकालकर परिवादी कानाराम एव कानि प्रकाश को डिजिटल वाॅयस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाई गई। परिवादी कानाराम ने बताया कि मेरे पिताजी वृद्ध होकर बीमार होने से मेरे साथ आये है जिनको मै अस्पताल मे चैक करवाउंगा इसलिये आज अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही मे मेरा फलोदी जाना संभव नही है। आईन्दा मै ग्राम लोहावट पहुचकर संदिग्ध आरोपीगणो की उपस्थिति पता कर आपको जरिये फोन सूचित कर दूंगा। जिस पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही आईन्दा परिवादी द्वारा सूचित करने पर करवाये जाने का निर्णय लिया गया एव डिजिटल वाॅयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा जाकर अलमारी को लॉक किया गया। ताबाद परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 31.05.2025 समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी कानाराम ने मन निरीक्षक पुलिस को अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन कर बताया कि श्री राधाकिशन एएसआई का फोन आया मगर मै उठा नही पाया इसलिये उनसे सम्पर्क नही हो पाया। मन निरीक्षक पुलिस भी अन्य गोपनीय कार्यवाही मे व्यस्त होने के कारण परिवादी को निर्देशित किया कि आप अपनी तरफ से चलाकर श्री राधाकिशन एएसआई को फोन मत करना एव यदि संदिग्ध कर्मचारी का फोन आपके पास आये तो बाहर होने का बहाना बनाकर चार पांच दिन का समय ले लेना। दिनांक 5.06.2025 समय 1053 एएम पर परिवादी कानाराम ने मन निरीक्षक पुलिस को अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन कर बताया कि मेरे मोबाईल पर श्री राधाकिशन एएसआई का फोन आया तथा मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे मे गिरफतार करने की धमकी देकर डराया एव शीघ्र वकील साहब श्री भेराराम से मिलने के लिये कहा। मै अगर कल श्री भेराराम एव श्री राधाकिशन से मिलता हू तो दोनो मे रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता हो जायेगी। जिस पर परिवादी कानाराम को कल दिनांक 6.6.2025 को प्रातः 10 एएम पर फलौदी कस्बे मे कानि श्री प्रकाश से मिलने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात कार्यालय मे ही उपस्थित कानि प्रकाश को कल दिनांक 6.6.2025 को प्रातः 7 बजे कार्यालय मे उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया। दिनांक 06.06.2025 समय 0700 एएमपर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखा डिजिटल वाँयस रिकार्डर मय नया मेमारी कार्ड के बाहर निकालकर एव डीवीआर एव मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर कानि. प्रकाश को सुपुर्द किया एव कानि प्रकाश को हिदायत दी गई की परिवादी श्री कानाराम आपको फलोदी मे मिलेगा इसलिये आप फलोदी पहुचकर परिवादी कानाराम से सम्पर्क कर उनके साथ जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। ताबाद श्री प्रकाश कानि. को डिजिटल वाँयस रिकार्डर मय मेमारी कार्ड के फलोदी के लिये रवाना किया गया। दिनांक 06.06.2025 समय 1053 एएम पर कानि. प्रकाश ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर फलौदी पहुचां जहां पर मैनें परिवादी श्री कानाराम से सम्पर्क कर बस स्टेण्ड फलोदी पर उनसे मिला एवं परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर संदिग्ध वकील श्री भैराराम एवं संदिग्ध कर्मचारी श्री राधाकिशन की उपस्थिति ज्ञात करने का कहने पर परिवादी श्री कानाराम ने जरिये फोन वकील श्री भैराराम की उनकी उपस्थिति के बारे में पूछने पर भैराराम ने परिवादी कानाराम को पुलिस थाने फलौदी के सामने अपने कार्यालय पर बुलाया जिस पर मै व परिवादी वहा से रवाना होकर पुलिस थाना फलौदी के पास स्थित वकील भेराराम के कार्यालय के पास पहुचे तथा वक्त करीब 1152 पर डीवीआर ऑनकर परिवादी श्री कानाराम को सुपुर्द किया एवं संदिग्ध आरोपी श्री भैराराम वकील से वार्ता करने के लिए उसके कार्यालय की तरफ रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाने के आस-पास मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री कानाराम पुनः मेरे पास आया जिस पर मैनें

डीवीआर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरिक्षत रखा। परिवादी कानाराम ने बताया कि वकील श्री भैराराम से मेरे कार्य एवं रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता हो गई है तथा श्री भैराराम वकील द्वारा अपने मोबाईल से एएसआई श्री राधाकिशन से भी वार्ता हुई हुई है जो वार्ताएं डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई है। इस प्रकार परिवादी श्री कानाराम व वकील श्री भैराराम के बीच परिवादी के कार्य के सम्बन्ध मे वार्ता होकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है तत्पश्चात संदिग्ध कर्मचारी श्री राधाकिशन एएसआई की उपस्थिति जानने के लिए कानाराम ने उसके मोबाईल पर फोन करने पर संदिग्ध कर्मचारी ने फोन नही उठाया। जिस पर कानि. को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया कि आप व परिवादी फलोदी में ही रहकर कुछ देर इंतजार करने के बाद पुनः उपस्थिति पता कर राधाकिशन व परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवावें। 0206 पीएम पर कानि. प्रकाश ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसअप कॉल कर बताया कि परिवादी श्री कानाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध कर्मचारी श्री राधाकिशन एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता हो गई हैं। जिस पर कानि. प्रकाश को निर्देशित किया कि परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने हेतु वहीं आवश्यक हिदायत के साथ रूखमत करे तथा आप डीवीआर सुरक्षित हालात में लेकर कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर उपस्थित आवें। 0615 पीएम पर कानि. प्रकाश कार्यालय एसीबी चैकी एसयू जोधपुर में उपस्थित आया एव डीवीआर स्वीचआफ मुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मै आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर फलोदी पहुचा एव परिवादी कानाराम से सम्पर्क कर बस स्टैण्ड फलोदी पर परिवादी कानाराम से मिला। परिवादी कानाराम से आवश्यक पूछताछ कर मध्यस्थ श्री भेराराम वकील की उपस्थिति का पता करने का कहने पर परिवादी ने अपने मोबाईल से मध्यस्थ श्री भेराराम से वार्ता कर उपस्थिति पूछने पर श्री भेराराम ने परिवादी को पुलिस थाना फलोदी के पास स्थित अपने कार्यालय पर बुलाया जिस पर मै व परिवादी पुलिस थाना के पास पहुचे जहा पर मैने साथ लाया डिजिटल वॉयस रिकार्डर आन कर परिवादी को सुपुर्द कर मध्यस्थ श्री भेराराम वकील से रिश्वत राशि मांग की वार्ता करने हेतु उसके कार्यालय रवाना किया एव मै वही आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईन्तजार मे व्यस्त हुआ। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया एव डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु हालत मे सुपुर्द किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर श्री भेराराम के पास पहुचा। श्री भेराराम अपने कार्यालय के सामने अपनी स्कूटी पर बैठा मिला जिसने मेरे विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज प्रकरण के जांच अधिकारी श्री राधाकिशन एएसआई से एफआर लगाने एव मदद करने की एवज मे 25,000 रूप्ये बतौर रिश्वत राशि की मांग की जिसमे से 22,000 रूप्ये एएसआई राधाकिशन के लिये एव 3000 रूप्ये स्वयं अपने लिये मांगे तथा मेरे आग्रह पर श्री भेराराम ने श्री राधाकिशन से अपने फोन से वार्ता कर एएसआई को सोमवार तक मेहरबानी करने एव मुझ प्रार्थी को गिरफतार नही करने की वार्ता की जो वार्ता भेराराम ने मेरे आग्रह पर भी फोन का स्पीकर ऑन नही करने के कारण एक तरफा ही वार्ता रिकार्ड हुई है। उक्त हालात आपको बताने पर आपने श्री राधाकिशन से भी सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित करने पर मेरे द्वारा परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर एएसआई राधाकिशन से वार्ता करवाने की कोशिश की मगर राधाकिशन एएसआई ने परिवादी का फोन नही उठाया। जिस पर आपके निर्देशानुसार मन कानि हमरा परिवादी के फलोदी मे गोपनीय स्थान पर दो घंटे मुकीम रहकर पुनः परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर एएसआई राधाकिशन से वार्ता करवाई तो वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा एएसआई राधाकिशन को बताया कि मै वकील साहब से मिल लिया हू तो उसने ठीक है ठीक है कहा तथा रात्रि गश्त मे होकर आराम करने से परिवादी से मिलने से मना किया। उक्त वार्ता डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड हुई जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी कानाराम एव मध्यस्थ भैराराम वकील के मध्य हुई रूबरू वार्ता एव परिवादी कानाराम एव एएसआई राधाकिशन के मध्य हुई टेलीफोनिक वार्ता को सुना तो कानि श्री प्रकाश द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यो की ताईद होकर मध्यस्थ श्री भैराराम वकील द्वारा परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण मे जांच अधिकारी से मदद करवाने एव परिवादी को गिरफतार नही करने की एवज मे अपने लिये 3000 रूप्ये एव जांच अधिकारी राधाकिशन एएसआई के लिये 22,000 रूप्ये रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई साथ ही परिवादी द्वारा 5000 रूप्ये आज साथ लाने का कहने पर भैराराम वकील द्वारा उक्त राशि अपने स्वयं के फोन पर आनलाईन भुगतान करने हेतु दबाव बनाना मगर परिवादी के पास राशि नकद होने पर आईन्दा साथ मे ही राशि देने की बात कही गई। उक्त वार्ता के पश्चात परिवादी कानाराम द्वारा अपने मोबाईल से एएसआई के मोबाईल पर वार्ता कर उनके द्वारा वकील भेराराम से मिलने की बात कहने पर एएसआई राधाकिशन द्वारा ठीक है ठीक है कहकर रिश्वत राशि मांग की स्वीकारोक्ति जाहिर की तथा परिवादी द्वारा 5000 रूप्ये आज उसके साथ लेकर आने की बात कहने पर एएसआई द्वारा ऐसी बात फोन पर नही करने का कहते हुए राशि लेने से ईनकार किया। इस प्रकार उक्त रिकार्ड वार्ता को सुनने से परिवादी कानाराम से श्री राधाकिशन एएसआई द्वारा मध्यस्थ भैराराम वकील के मार्फत ही रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि हुई है तथा रिश्वत राशि मध्यस्थ भैराराम वकील के मार्फत ही प्राप्त करने की वार्ता होने की पुष्टि हुई। हालात उच्च अफसरान को निवेदन किये गये। परिवादी कानाराम को जरिये वाटसएप कॉल कर आईन्दा शीघ्र ही आरोपीगणो को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर सम्पर्क करने हेतु हिदायत दी गई। आईन्दा अग्रिम ट्रैप कार्यवाही आयोजित की जायेगी। दिनांक

10.06.2025 समय 1045 एएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री कानाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि ईतने दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने से पेसो की व्यवस्था नही कर पाया था। आज मैने आरोपीगणो की दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर ली है, साथ ही बताया कि आरोपी श्री भेराराम वकील ने भी आज मुझे फोन कर राशि लेकर बुलाया है जिस पर परिवादी कानाराम को निर्देशित किया गया कि रिश्वत मे दी जाने वाली राशि साथ लेकर शीघ्र ही कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर पर पहुचे। 1130 एएम पर ट्रैप कार्यवाही प्रस्तावित होने से दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम तहरीर लिख कानि श्री गणेशकुमार 219 को सुपुर्द कर दो कार्मिक लाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर रवाना किया गया। 0510 पीएम पर कानि श्री गणेशकुमार 219 जोधपुर विकास प्राधिकरण गया हुआ दो कार्मिक साथ लेकर उपस्थित आया। उपस्थित आये कार्मिको को मन् पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस ने उन्हे अपना परिचय देकर उन्हे बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः प्रकाश गिरी पुत्र श्री चन्द्रगिरी जाति गोस्वामी उम्र 33 साल पेशा नौकरी निवासी गांव खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ लेखाकार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मो. न [redacted] एव दूसरे ने अपना नाम रमेश सीरवी पुत्र श्री नारायणराम जाति सीरवी पेशा नौकरी उम्र 31 वर्ष निवासी बेरा हाम्बडो का मायला उगनिया बिलाडा हाल कनिष्ठ लेखाकार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मो. न. [redacted] होना बताया। जिस पर दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर कल दिनांक 11.6.2025 को प्रातः 630 एएम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने के लिये पाबन्द कर रूखसत किया। 0715 पीएम पर परिवादी श्री कानाराम पूर्व से पाबन्दसुदा उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000 रूप्ये साथ लेकर आया हू जिस पर परिवादी कानाराम को पाबन्द किया कि आप उक्त राशि अपने पास ही रखे तथा कल दिनांक 11.6.2025 को मन् निरीक्षक पुलिस को पेश करे तथा श्री कानाराम को हिदायत दी की आप गोपनीयता बरतते हुए कार्यालय मे ही उपस्थित रहे। दिनांक 11.06.2025 समय 0620 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र श्रीप्रकाश गिरी कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री रमेश सीरवी कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का कार्यालय हाजा में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री कानाराम से आपसी परिचय करवाया गया।तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री कानाराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमे दिनांक 06.06.2025को परिवादी श्री कानाराम एवं मध्यस्थ श्री भेरारामके मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रिकार्ड रूबरू वार्ता एव टेलीफोनिक वार्ता एव परिवादी कानाराम एव संदिग्ध आरोपी श्री राधाकिशन एएसआई पुलिस थाना फलोदी के मध्य हुई मोबाईल वार्तारिकार्ड है के मुख्य-मुख्य अंशको सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर टेªप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात डिजिटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड जिसमे रिशवत राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है को डिजिटल वॉयस रिकार्डर से निकाल कर एक प्लास्टिक के कवर मे डालकर स्टेपलर से बन्द किया जाकर एक सफेद लिफाफे मे डालकर मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। वक्त0650 ए.एमपरदोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू मन निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री कानाराम से आरोपी श्री राधाकिषन सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री भैराराम मध्यस्थ को दी जाने वाली रिष्वत राषि पेष करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री कानाराम ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राषि 25,000/-रूपये पेष किये। परिवादी श्री कानाराम द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 UL 416212, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 BA 479573, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 BU 910590, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 QQ 219189, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 AP 623052, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 GM 276129, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 HW 195071, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 CM 955679, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 FM 208737, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 FM 208736, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 VS 902294, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 DK 774198, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 CP 004271, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 ES 273364, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 AE 222378, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 UT 200687, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 BU 012825, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 GU 199949, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 VD 352473, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 WE 655825, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 ED 152728, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 ER 652046, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 CF 097965, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 RR 670055, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 EG 395353, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 QQ 778811, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 HL 254223, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 HF 434246, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 TA 075700,

500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 NR 538343, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 VE 661648, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 GC 678466, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 TS 825612, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 NE 062413, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 RM 323656, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 VA 484611, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 HC 484945, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 NB 181491, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 CH 543712, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 BE 548762, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 ME 505882, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 MA 303197, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 AD 506666, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 BV 030168, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 NM 487269, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 EP 162239, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 DD 451588, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 EM 858354, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 SQ 950947, 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 AU 417668 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीषी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 25,000/- रूपये के नोटांे को अखबार के उपर रखवाकर उन पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कानाराम की जामा तलाषी गवाह श्री प्रकाष गिरी से लिरवाई जाकर परिवादी के मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राषि उसके पास नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 25,000/-रूपये जो आरोपी श्री राधाकिषन सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री भैराराम मध्यस्थ को दी जानी है, की राषि के नोटों को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से परिवादी श्री कानाराम के पहने हुए पायजामा की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये को रूबरू मौतबिरान रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कानाराम को हिदायत दी गई कि इस रिष्वती राषि को रास्ते में छुऐ नहीं एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिशवती राशि पहने हुए पायजामा की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवंे। अगर अभिवादन की जरूरत पडे़ तो दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करें, आरोपी से हाथ नहीं मिलावें। टे्रप पार्टी को देखकर मन् पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर काॅल कर या मिसकाॅल कर रिष्वती राषि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईषारा करें। तत्पष्चात् एक डिस्पाॅजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटांे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों व अगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईष की गई कि आरोपी द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिष्वती राषि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से डिस्पाॅजल गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर डिस्पाॅजल गिलास को व जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीषी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिष्वती राषि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाषी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राषि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त की गई कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से ब्यूरो जाप्ते से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढ़ाई गई, पढ़कर समझकर सही होना मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। वक्त 0745 ए.एम. पर मन् पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाश गिरी व श्री रमेश सीरवी परिवादी श्री कानाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस,श्री अचलाराम हैड कानि. श्री प्रकाश कानि. श्री गणेश कुमार कानि, श्री कालूराम कानि , .श्री देवाराम कानि. मय ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप, प्रिन्टर, डिजिटल वाॅईस रिकाॅर्डर मय नये मैमोरी कार्ड, टे्प बाॅक्स व अन्य ट्रेप सामग्री मय परिवादी की शिकायम एव सम्बन्धित दस्तावेजो की पत्रावली साथ लेकर सरकारी वाहन बोलेरो एवं मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से फलोदी के लिए रवाना हुवे। 1015 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा के समस्त हमरायान के रवाना शुदा पुलिस थाना फलोदी के पास गोपनीय स्थान पर पहुचां एवं जहा पर वाहनो को रोड़ के किनारे सुरक्षित खडे़ करवाया गया। 1021 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान श्री भैराराम मध्यस्थ की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री कानाराम के मोबाईल नम्ब[redacted] से श्री भैराराम मध्यस्थ के मोबाईल नम्बर[redacted] पर काल करवाने पर श्री भैराराम मध्यस्थ द्वारा परिवादी का काल अटैंड नही किया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त

हमरायान के वही पर एकांत मे मुकीम रहा। 1031ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान श्री भैराराम मध्यस्थ की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री कानाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री भैराराम मध्यस्थ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई तो वार्ता के दौरान श्री भैराराम मध्यस्थ ने बताया कि में कांग्रेस की मिटिंग में हु, डेढ दो बजे आपको में अपने कार्यालय मेंमिल जाउगा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के आरोपी श्री भैराराम मध्यस्थ के अपने कार्यालय में आने के ईन्तजार में गोपनीय रूप से कस्बा फलोदी से बाहर फलौदी से रामदेवरा की तरफ जाने वाले रोड पर एकांत मे जाकर श्री भैराराम मध्यस्थ के कार्यालय के उपस्थित आने का ईन्तजार किया। 0105 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से दोनो संदिग्ध गणो की लोकेशन निकलवाने पर दोनो की उपस्थिति अपने अपने कार्यालय मे आई जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के रामदेवरा रोड से रवाना होकर रोडवेज बस स्टैण्ड मे पहले ही गाडियो को एकांत मे खडी करवाकर समस्त जाब्ते को ब्रीफ किया जाकर अपनी अपनी पोजिशन लिरवाई गई। 0124 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान परिवादी श्री कानाराम को आवश्यक हिदयात कर गोपनीय ईशारे के बारे में पुनः बताकर कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी के ऑन कर परिवादी श्री कानराम को सुपुर्द कर आरोपी श्री भैराराम मध्यस्थ से मिलने एवं रिश्वती राशि का आदान-प्रदान करने हेतु आरोपी श्री भैराराम मध्यस्थ के कार्यालय की तरफ रवाना किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी पोजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इंतजार किया। 0255 पी.एम.पर परिवादी श्री कानाराम बिना कोई गोपनीय ईशारा किये बिना पानी की दो बोतले हाथ मे लेकर श्री भेराराम के कार्यालय से बाहर निकला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा भेराराम के कार्यालय के पास ही पोजिशन लेकर खडे श्री प्रकाश कानि को जरिये टेलीफोन निर्देशित किया कि श्री कानाराम को गोपनीय रूप से ईशारा कर एक तरफ एकांत मे बुलाये तथा श्री भैराराम के कार्यालय मे हुई वार्ता के बारे मे जानकारी प्राप्त कर बताये मगर कानि द्वारा पूर्ण जानकारी पूछकर बताने मे असमर्थ होने के कारण तथा श्री कानाराम के बस स्टैण्ड पर स्थित पानी की प्याउ पर जाने पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा गवाहान के जरिये वाहन परिवादी के पास पहुच कर परिवादी को गोपनीय रूप से गाडी मे बैठाकर डीवीआर प्राप्त कर स्वीच आफ किया तथा परिवादी से श्री भेराराम से हुई वार्ता के बारे मे पूछने पर परिवादी ने बताया कि श्री भेराराम मध्यस्थ राशि प्राप्त करने हेतु वार्ता कर चुका है तथा अपने फोन से ही मेरी श्री राधाकिशन एएसआई से वार्ता करवाई है वार्ता के दौरान श्री राधाकिशन ने राशि लेने की सहमति जाहिर की है तथा श्री राधाकिशन ने अपने आप को बाहर होना बताया है मगर ब्यूरो मुख्यालय से ली गई लोकेशन के अनुसंार संदिग्ध कर्मचारी राधाकिशन के मोबाईल की लोकेशन पुलिस थाना फलौदी मे ही आने के कारण मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के स्वीच आॅन कर पुनः परिवादी श्री कानाराम को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर भेराराम से रिश्वत राशि आदान प्रदान करने हेतु भेराराम के कार्यालय को रवाना किया एव मन निरीक्षक पुलिस हमरा स्वतंत्र गवाहान के पुनः अपनी अपनी पोजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का ईन्तजार किया। वक्त 0319 पी.एम. पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी श्री कानाराम पुत्र श्री अणदाराम जाति भील उम्र 36 वर्ष निवासी जाटावास लोहावट जिला फलोदी ने पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिसकॉल कर किया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान को चलने का ईशारा कर पुलिस थाना फलोदी के सामने श्री भैराराम मध्यस्थ के आॅफिस "मकवाना लाँ चैम्बर" में पहुचें जहां पर परिवादी श्री कानाराम कुर्सी पर बैठा मिला जिसको पूर्व में दिया गया डीवीआर प्राप्त कर स्वीच आँफ कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने चैम्बर में टेबल के पास कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री भैराराम वकील है, जिन्होनें अभी-अभी मेरे विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी में दर्ज मुकदमें में मदद करने एवं धारा हटवाकर अनुसंधान अधिकारी से एफआर लगवाने की एवज में अपने स्वयं के लिए एवं श्री राधाकृशण एएसआई के लिए रिशवती राषि 25,000 रूपये मांगकर, प्राप्त कर अपने पहने हुए कुर्ते की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर सफेद कुर्ते व पायजामा पहने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपनी जेब से 500-500 रूपये का एक बंडल निकालकर कार्यालय की टेबल पर रख दिया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल फोन से विडियोग्राफी षुरू करवाकर सफेद कुर्ते पायजामा पहने हुए व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व समस्त हमारायान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर सफेद कुर्ते पायजामा पहने हुए बैठे व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम भैराराम पुत्र श्री हेमाराम जाति मेघवाल उम्र 44 वर्ष निवासी गांव मेघवालों की ढाणीयां चाखू तहसील घन्टीयाली जिला फलोदी हाल हनुमान मंदिर रोड इंदिरा कॉलोनी फलोदी होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कानाराम की तरफ ईषारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते है तथा परिवादी से अभी कोई राशि प्राप्त करने एवं किस बात की राषि प्राप्त की गई है के बारे में पूछा गया तो श्री भैराराम ने पहले बताया कि हां, मैं इसे जानता हूं यह श्री कानाराम भील है जो जाटावास लोहावट का निवासी है तथा इनके विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी में एक प्रकरण दर्ज है साथ ही बताया कि मैं एक वकील हूं तथा इनके व इनके परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में पैरवी करने की एवज में राशि 25,000 रूपये प्राप्त की है जो मेरे पहने हुए कुर्ते की दाहिनी जेब में रखे तथा आपको देखकर उक्त राशि मेरे कुर्ते की जेब से निकालकर कार्यालय की टेबल पर रखी है।

जिस पर पास ही खड़े श्री कानाराम ने श्री भैराराम के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि साहब ये झूठ बोल रहे है श्री भैराराम जी ने मेरे विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी में दर्ज प्रकरण में मदद करवाने तथा धारा हटवाकर एफआर लगवाने की एवज में अपने स्वयं एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री राधाकृष्ण एएसआई के लिए रिष्वत के तौर राषि मांगकर प्राप्त की है तथा राशि प्राप्त करने के बाद श्री भैराराम ने अपने मोबाईल फोन से श्री राधाकृष्ण एएसआई से वार्ता की, वार्ता के दौरान श्री भैराराम ने श्री राधाकृष्ण एएसआई से परिवादी कानाराम की मदद करने एवं महरबानी रखने को कहा तथा मेरी भी राधाकृश्ण एएसआई से अपने मोबाईल से ही निरन्तर में ही वार्ता करने हेतु मोबाईल फोन मुझे देने पर मैनें श्री भैराराम के फोन का स्पीकर आँन कर श्री राधाकृष्ण से वार्ता की, वार्ता के दौरान श्री राधाकृश्ण ने मुझे मेरे विरूद्ध प्रकरण में मदद करने का आश्वासन दिया। जिस पर श्री भैराराम ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि साहब गलती हो गई मैनें उक्त राषि मेरे लिए ही ली है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री मनीश चोधरी निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन निर्देषित किया गया कि आप मय जाप्ता पुलिस थाना फलोदी में पहुच श्री राधाकृष्ण एएसआई को दस्तयाब कर लावें। तत्पष्चात मन निरीक्षक पुलिस ने उपस्थित जाप्ते से आरोपी श्री भैराराम की कलाई से उपर से सुरक्षा की दृष्टि से दोनों हाथ पकड़वाये गये। थोड़ी देर बाद श्री मनीश चोधरी निरीक्षक पुलिस सामने स्थित पुलिस थाने फलोदी से श्री राधाकृष्ण एएसआई को दस्तयाब कर श्री भैराराम के कार्यालय में लेकर उपस्थित आये जिन्हे मन निरीक्षक पुलिस व हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त जाप्ता का परिचय देकर उनसे उनका पूर्ण परिचय पूछने पर उसने अपना नाम राधाकृश्ण पुत्र श्री गोरधनराम उम्र 45 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी गांव पड़ियाल पुलिस थाना भोजासर जिला फलोदी हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना फलोदी जिला फलोदी होना बताया तथा हाल निवास सरकारी आवास पुलिस थाना फलोदी होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सामने खड़े श्री परिवादी कानाराम की तरफ ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हो तथा इनमे कोई राषि मांगकर श्री भैराराम को राशि देने को कहा है जिस पर श्री राधाकृष्ण एएसआई ने कहा कि हां मैं इसे जानता हूं यह श्री कानाराम है जो मेरे पास अन्वेशणाधीन प्रकरण संख्या 90/2025 का मुल्जिम है मैनें इनको कोई राशि की मांग नहीं की है तथा भैराराम या किसी अन्य को भी कोई राषि देने हेतु नहीं कहा है। जिस पर पास ही खड़े श्री कानाराम ने श्री राधाकृष्ण के कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि ये झूठ बोल रहे है इन्होनें मेरे मुकदमें में मदद करने एवं धारा हटने एवं एफआर देने की एवज में 50,000 रूपये की रिष्वत राशि मांगकर मेरे द्वारा विनती करने पर 30,000 रूपये लेने के लिए सहमत होकर श्री भैराराम वकील को देने के लिए कहा है। ताबाद गाड़ी में रखा टैªप बाँक्स मंगवाकर श्री भैराराम के कार्यालय मकवाना लाँ चैम्बर में ही आरोपी श्री भैराराम के हाथ धोवन की अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात टैªप बाँक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकालकर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री भैराराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री भैराराम के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पष्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थित सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया एवं टैªप बाॅक्स मे एक साफ कपड़े की चिन्दी निकलवाकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर रिष्वती राषि बरामदगी स्थल टेबल टाँप पर दो-तीन बार रगड़ कर पुनः रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिस सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशियो मे आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित किया गया एवं सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा शिशियो को शिल्ड मोहर किया गया। उक्त कपडे की चिन्दी को सुखोकर चिन्दी पर सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली को शिल्ड मोहर किया गया। तत्पष्चात सह आरोपी श्री भैराराम की जामा तलाशी गवाह श्री रमेष सीरवी से लिरवाई जाने पर उसकी पहने हुए पायजामा में एक पर्स मिला जिसमें उसका आधार कार्ड एवं दो सौ रूपये नकद मिले। उक्त नकद मिली राषि के बारे में श्री भैराराम से पूछने पर उसने बताया कि मेरे खर्चे के रखे हुए है जिस पर उनका जवाब संतोशप्रद होने पर उक्त राषि 200 रूपये को एवं आधार कार्ड को पर्स में रखवाकर, पर्स को श्री भैराराम के कहेनुसार उसके कार्यालय की टेबल

की ड्राॅ में रखवाया गया। टेबल पर एक मोबाईल फोन रखा मिला जिसके बारे में श्री भैराराम से पूछने पर बताया कि यह मेरा मोबाईल है जो टेकनों कम्पनी को होकर दो सिम लगी हुई है। जिसमें एक वोडाफोन की सीम है जिसके नम्बर [redacted] तथा दूसरी एयरटेल कम्पनी की है जिसके नम्बर [redacted] है। उक्त मोबाईल फोन के आईएमईआई नम्बर [redacted] व [redacted] होना पाये गये। उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में वांछित होने से कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पष्चात सह आरोपी श्री भैराराम के पहनने के लिए एक अन्य कुर्ते की व्यवस्था कर पहने हुए कुर्ते को उतरवाया गया। टे़प बाँक्स से एक अन्य साफ डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तथा घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में सह आरोपी भेराराम के पहने हुए कुर्ते की जेब जिसमे उसने रिष्वत राषि प्राप्त कर रखी थी को उल्टा करवाकर गिलास के घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिस सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क एस-1 व एस-2 अंकित किया गया एवं सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा षीषीयों को षील्ड मोहर किया गया तथा कुर्ते की जेब को सुखोकर जेब पर भी सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कुर्ते को भी एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली को षिल्ड मोहर कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पष्चात पूर्व से मुर्तिबा फर्द पेषकषी रिष्वती राषि को गवाह श्री प्रकाष गिरी को सुपुर्द कर दूसरे गवाह श्री रमेष सीरवी को श्री भैराराम के सामने टेबल पर रखी राषि उठाकर गिनने को कहा एवं फर्द पेषकषी में अंकित नोटों के नम्बरों से उक्त बरामदा रिष्वती राषि के नम्बरों का मिलान करने हेतु कहा गया जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री रमेष सीरवी ने भैराराम के सामने टेबल पर रखा 500-500 रूपये बन्डल के नोटों को गिनकर बताया कि कुल राषि 25,000 रूपये है जिस पर श्री रमेष सीरवी द्वारा बरामदा रिष्वती राषि के नोटों के नम्बरों को बारी-बारी बोलकर श्री प्रकाष गिरी को सुपुर्द नोटों के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये।उक्त भारतीय मुद्रा 25,000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पष्चात श्री भैराराम का कार्यालय मुख्य सड़क पर होकर पास में ही अन्य दुकानें व मार्केट होने के कारण एव श्री भैराराम पूर्व मे सरपंच पति, अपने समाज का अध्यक्ष होने के कारण उनके समाज के एव अन्य लोगो की भीड़ इकटठी हो जाने के कारण सुरक्षा की दृश्टि से श्री भैराराम का कार्यालय को लाॅक करवाकर उनके परिचित श्री अनोपाराम मेघवाल को सुपुर्द की गई तत्पष्चात श्री भैराराम व श्री राधाकृष्ण को सरकारी वाहन में बैठाकर कर हमरा टे़प बाॅक्स, लिये गये प्रादर्ष एवं बरामदा रिष्वती राषि एव समस्त हमरायान को साथ लेकर वहां से रवाना होकर श्री भेराराम के कार्यालय के सामने ही करीब 20 कदम पर स्थित पुलिस थाना फलोदी में पहुचां जहां पर उपस्थित श्री दलपतसिंह उप निरीक्षक पुलिस से अग्रीम कार्यवाही करने की स्वीकृति प्राप्त कर थानाधिकारी कार्यालय कक्ष में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 को श्री राधाकृशण के पुलिस थाना परिसर में स्थित सरकारी आवास की निगरानी मामूर की गई। श्री राधाकृष्ण एएसआई एवं श्री भैराराम को तसल्ली देकर पुनः रिष्वती राषि प्राप्त करने के क्रम में बारी-बारी से स्पश्टीकरण पूछने पर श्री भैराराम ने बताया कि श्री कानाराम ने आज मुझे उनके दो मुकदमें की पैरवी करने हेतु 25,000 रूपये दिये है तथा श्री राधाकृशण एएसआई ने कहा कि मैंने श्री कानाराम से रिष्वती राषि मांग नहीं की है, न ही प्राप्त की है तथा न ही श्री भैराराम जी को देने के लिए कहा है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री कानाराम ने उपरोक्त दोनों आरोपीगण के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि मेेरे विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी में दर्ज प्रकरण संख्या 90/2025 के अनुसंधान अधिकारी श्री राधाकृशण जी एएसआई है जिन्होनें मुझे दिनांक 26.05.2025 को श्री भैराराम के कार्यालय में बुलाया तथा भैराराम जीे के सामने ही पहले कहा कि आप जमानत के कागज तैयार करवाओ। कुछ देर बाद श्री राधाकृष्ण एएसआई ने मुझे कहा कि आप 50,000 रूपये देते हो तो जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपके मुकदमें में धारा हटाकर एफआर लगा दूगां। मेरे द्वारा विनती करने पर 30,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए तथा उक्त राषि 30,000 रूपये श्री भैराराम को देने हेतु कहा तथा अब आगे मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है जिस पर मैं दिनांक 06.06.2025 को श्री भैराराम जी से मिला तो उन्होनें मेरे से अपने लिए 3000 रूपये तथा राधाकृशण एएसआई के लिए 22,000 रूपये की मांग की तथा अपने मोबाईल फोन से श्री राधाकृष्ण एएसआई से वार्ता कर मेरे मुकदमें में मदद करने हेतु कहा गया। श्री राधाकृशण एएसआई से परिवादी श्री कानाराम के विरूद्ध दर्ज मुकदमें का अनुसंधान एवं पत्रावली के बारे में पूछने पर श्री राधाकृष्ण एएसआई ने बताया कि श्री कानाराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या 90/2025 दर्ज है जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली थाना परिसर में स्थित मेरे सरकारी आवास पर रखी हुई है। जिस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली आईन्दा खाना तलाशी रहवासीय सरकारी आवास श्री राधाकृष्ण एएसआई से कब्जा ब्यूरो ली जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन करवाई गई। वक्त 06ः50पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा हमरा श्री मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री कालूराम कानि, को टे़प कार्यवाही में लिये गये शील्डसुदा प्रादर्श, बरामदा रिश्वती राशि सील चेपा एवं टे़प बाॅक्स व अन्य सामग्री एवं दस्तयाबसुदा आरोपी श्री भेराराम एव राधाकृष्ण एएसआई को निगरानी मे संभलाया गया एव मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनो स्वतंत्र गवाहान एव

परिवादी कानाराम को साथ लेकर थाने के सामने स्थित श्री भेराराम का कार्यालय मकवाना लाॅ चैम्बर के लिये निरीक्षण घटनास्थल बाबत रवाना हुआ। 0655पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री कानाराम की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एव हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया एव बाद कार्यवाही समस्त हमरायान को साथ लेकर पुलिस थाना के लिये रवाना हुआ। 07ः30पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिगरा का रवानासुदा पुलिस थाना फलौदी मे पहुचा एव परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ थाने मे बिठाकर आरोपी श्री राधाकृष्ण एएसआई जो श्री मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस की निगरानी मे है को व दोनों स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर मय जाप्ते के आरोपी श्री राधाकृष्ण एएसआई के पुलिस थाना फलोदी परिसर मे स्थित आरोपी के सरकारी आवास परं पहुचां। समय 0745 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस रूबरू दोनो स्वतंत्र गवाहान आरोपी श्री राधाकृष्ण की उपस्थिति मे उनके सरकारी आवास की खाना तलाशी लेना प्रारंभ की गई। खाना तलाशी मे घरेलु एव इस्तेमाली सामान के अलावा सरकारी आवास के एक कमरे मे दीवार मे बनी खुली अलमारी मे रखी प्रकरण संख्या 90/2025 विरूद्ध श्री कानाराम एव अन्य की पत्रावली रखी मिली जिसका अवलोकन कर प्रकरण मे वांछित होने के कारण साथ ली गई। खाना तलाशी कीफर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। ताबाद मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के एव खाना तलाशी मे मिली पत्रावली के उपस्थित पुलिस थाना फलोदी आयाव टे्प कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श, जब्त रिश्वती राशि एवं टे्प बाॅक्स व अन्य सामग्री एवं श्री भैराराम मध्यम्थको स्वयं के जिम्मे लिया। 0820 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राधाकृष्ण एएसआई से उनके सरकारी आवास की खाना तलाशी मे मिली प्रकरण संख्या 90/2025 पुलिस थाना फलोदी के अनुसंधान आदि के बारे मे पूछताछ करने पर श्री राधाकृष्ण ने बताया कि दिनांक 18.3.2025 को श्रीमती किसनी पत्नि कालुराम जाति भील निवासी जाटावास लोहावट ने एक लिखित रिपोर्ट श्री कानाराम, एव उसके पिता श्री अणदाराम एव अन्य के खिलाफ श्री दलपतसिह उपनिरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने पर प्रकरण संख्या 90/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 74(3)(5) बीएनएस मे पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान मन राधाकृष्ण एएसआई के जिम्मे किया जिस पर अग्रिम अनुसंधान मन एएसआई द्वारा किया जा रहा है। जिस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली ट्रैप कार्यवाही मे वांछित होने के कारण पेजिंग करवाकर श्री दलपतसिह उपनिरीक्षक पुलिस से फोटो प्रतिया करवाई जाकर प्रमाणित करवाकर कब्जा एसीबी ली गई एव मूल पत्रावली श्री दलपतसिह उपनिरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की गई। 08ः50 पी.एम. पर समय मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भैराराम पुत्र श्री हेमाराम जाति मेघवाल उम्र वर्ष 44 वर्ष निवासी ग्राम चाखू पुलिस थाना चाखू जिला फलोदी हाल ईन्दरा काॅलोनी हनुमान मन्दिर रोड़ फलोदी हाल को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफतारी पृथ्क से मुर्तिब की जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। 0930 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिम द्वारा श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री गोरधनराम जाति विश्नोई उम्र वर्ष 45 निवासी ग्राम पड़ियाल पुलिस थाना भोजासर जिला फलोदी हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना फलोदी जिला फलोदी को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। 11ः45 पी.एम पर मन निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री राधाकृष्ण सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री भैराराम मध्यस्थ, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री कानाराम, ब्यूरो दल के फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं टे्प बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर, डीवीआर को साथ लेकर मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं परिवादी मन् निरीक्षक पुलिम के निजी वाहन से ब्यूरो चैकी एसीबी एसयू जोधपुर के लिए रवाना हुआ। दिनांक 12.06.2025 समय 0230 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी एसयू जोधपुर के कार्यालय मे पहुचकर कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श श्री भैराराम मध्यस्थ के दोनों हाथों के धोवन की चार शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 01, आर.एच. 02 तथा एल.एच. 01 व एल.एच. 02 रिश्वती राशि बरामदगी स्थल टेबल के टोप की धोवन की शील्ड शुदा शीशीया मार्क टी 1, टी 2 , रिश्वति राशि बरामदगी स्थल का धोवन लेने में प्रयुक्त सफेद कपडे़ की चिन्दी का शील्ड पैकेट, श्री भैराराम मध्यस्थ द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने कुर्ते की दाहीनी जेब में रखी उसी कुर्ते के दाहीनी जेब का लिया गया धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क एस 1, एस 2 तथा कुर्ते का कपडे़ की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, बरामदा रिश्वती राशि 25,000 रूपये जो कोने से कपडे़ में शील्ड चिट शुदा को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67को सुरक्षित हालत में संभलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय मे आराम करने की व्यवस्था कर मुकीम कार्यालय रखा गया। 02ः50 ए.एम. पर श्री मेघराज उप निरीक्षक पुलिस, हमरा श्री कालूराम कानि. नम्बर 246, श्री देवाराम कानि. मय गिरफतारसुदा आरोपी श्री राधाकृष्ण सहायक उप निरीक्षक एवं श्री भैराराम मध्यस्थ का मेडिकल चैकअप करवाने एवं सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान चिकित्सा अधिकारी राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक-पृथक तेहरीर दी जाकर आवश्यक हिदायत के साथ राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर के लिये रवाना किया गया। 03ः30 ए. एम.पर श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक मय जाब्ता व सरकारी वाहन के आरोपी को बाद चिकित्सक परीक्षण के पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर की हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर एवं कानि. श्री कालूराम की ड्यूटी मामूर कर

बाद उक्त कार्यवाही के कार्यालय हाजा उपस्थित आये एवं चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर की रोजनामचाआम की रपट शामिल रनिंग नोट की गई। मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त जाब्ता के कार्यालय मुकीम रहकर आराम किया। 600 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश सीरवी एव प्रकाशगिरी एव परिवादी श्री कानारामकार्यालय मे उपस्थित है जिनकी उपस्थिति मे वक्त रिश्वती राशि लेनदेन परिवादी श्री कानाराम एव आरोपीगण श्री भेराराम व राधाकृष्ण के मध्य रूबरू एव टेलीफोनिक हुई वार्तादिनांक 11.06.2025 जो डीवीआर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है उक्त मेमोरी कार्ड को डीवीआर से निकालकर एक लिफाफे मे डालकर मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दोनेा स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश सीरवी एव प्रकाशगिरी एव परिवादी श्री कानारामकी उपस्थिति मे वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन का मेमोरी कार्ड जिसमे वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन आरोपीगण श्री भेराराम एव राधाकृष्ण एएसआई के मध्य दिनांक 06.06.2025 को हुई वार्ता रिकार्ड है जिसे पूर्व मे डीवीआर से निकालकर लिफाफे मे डालकर मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा था उक्त मेमेारी कार्ड को सुरक्षित बाहर निकालकर डीवीआर में लगाकर डीवीआर को श्री प्रकाश कानि. 265 से कार्यालय के कम्प्यूटर से जुड़वाकर परिवादी श्री कानाराम एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू कम्प्यूटर में लगे स्पीकर की मदद से मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकाॅर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं परिवादी की व दूसरी आवाज की पहचान श्री भैराराम मध्यस्थ की एवं तीसरी आवाज आरोपी श्री राधकृष्ण सहायक उप निरीक्षक पुलिस की होना पहचान परिवादी कानाराम द्वारा की गई। उक्त रिकाॅर्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमौरी कार्ड को रूबरू गवाहान एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो पैन ड्राईव को डब पैन ड्राईव मानते हुए खुली हालत में रखी गई। सील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड की थैली एवं तीनो डब पैन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। 830 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश सीरवी एव प्रकाशगिरी एव परिवादी श्री कानाराम कार्यालय मे उपस्थित है जिनकी उपस्थिति मे वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री कानाराम एव आरोपीगण श्री भेराराम व राधाकृष्ण के मध्य रूबरू एव टेलीफोनिक हुई वार्ता दिनांक 06.06.2025 जो डीवीआर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है उक्त मेमोरी कार्ड को डीवीआर से निकालकर एक लिफाफे मे डालकर मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दोनेा स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश सीरवी एव प्रकाशगिरी एव परिवादी श्री कानाराम की उपस्थिति मे वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड जिसमे वक्त रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता जो आरोपीगण श्री भेराराम एव राधाकृष्ण एएसआई के मध्य दिनांक 11.06.2025 को हुई वार्ता रिकार्ड है जिसे पूर्व मे डीवीआर से निकालकर लिफाफे मे डालकर मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा था उक्त मेमेारी कार्ड को सुरक्षित बाहर निकालकर डीवीआर में लगाकर डीवीआर को श्री अचलाराम हैड कानि 67 से कार्यालय के कम्प्यूटर से जुड़वाकर परिवादी श्री कानाराम एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू कम्प्यूटर में लगे स्पीकर की मदद से मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशिलेन-देन तैयार की गई। रिकाँर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं परिवादी की व दूसरी आवाज की पहचान श्री भैराराम मध्यस्थ की एवं तीसरी आवाज आरोपी श्री राधकृष्ण सहायक उप निरीक्षक पुलिस की होना पहचान परिवादी कानाराम द्वारा की गई। उक्त रिकाँर्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम मे तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमौरी कार्ड को रूबरू गवाहान एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो पैन ड्राईव को डब पैन ड्राईव मानते हुए खुली हालत में रखी गई। सील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड की थैली एवं तीनो डब पैन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 06.06.2025 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन सह आरोपी श्री भैराराम द्वारा परिवादी श्री कानाराम के विरूद्ध पुलिस थाना फलोदी में दर्ज प्रकरण संख्या 90/2025 में मदद करवाने एवं धारा हटवाकर एफआर लगवाने के लिए अपने लिए 3000 रूपये तथा प्रकरण के अनुसधान कर्ता श्री राधाकृष्ण एएसआई के लिए 22000 हजार रिष्वत राशि की मांग करना तथा उसी वक्त सह आरोपी श्री भैराराम द्वारा श्री राधाकृष्ण एएसआई को मोबाईल से फोन कर श्री कानाराम के मुकदमें में मदद करने का कहने पर श्री राधाकृष्ण द्वारा मदद करने का आशवासन देना तथा उसी रोज परिवादी श्री कानाराम द्वारा अपने मोबाईल फोन से श्री राधाकृष्ण एएसआई के फोन पर फोन कर श्री भैराराम से मिलने की बात कहने पर ठीक है-ठीक है का कहना तथा वक्त रिष्वती राषि लेन-देन सह आरोपी श्री भैराराम द्वारा परिवादी से रिष्वती राषि मांगकर 25000 रूपये बतौर रिष्वत राषि प्राप्त कर पहने हुए कुर्ते की दाहिनी जेब में रखना तथा रिष्वत राषि प्राप्त करने के बाद सहआरोपी श्री भैराराम द्वारा श्री राधाकृष्ण एएसआई से अपने मोबाईल से वार्ता करना, वार्ता के दौरान श्री भैराराम द्वारा परिवादी श्री कानाराम का उपस्थित आना तथा इनके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने का कहकर परिवादी श्री कानाराम को भी श्री राधाकृष्ण एएसआई से अपने मोबाईल से ही निरन्तरता में वार्ता हेतु मोबाईल देने पर परिवादी ने श्री भैराराम के फोन का स्पीकर आँन कर वार्ता करना तथा वार्ता के दौरान श्री कानाराम द्वारा श्री राधाकृष्ण एएसआई को कहना कि आपका काम कर दिया है आपका आषीर्वाद चाहिए तब श्री राधाकृष्ण एएसआई द्वारा परिवादी को कहना कि

निश्चित रह आदि रिशवति राशि प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति देना तथा परिवादी के लम्बित कार्य से संबधित उनके विरूद्ध पुलिस थाना फलौदी मे दर्ज प्रकरण संख्या 90/2025 का अनुसंधान अधिकारी श्री राधाकृष्ण एएसआई स्वयं होकर पत्रावली उनके कब्जे से बरामद होना आदि आपराधिक कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 का कारित करना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जा रही है। भवदीय (पदमपालसिंह)निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोएसयू जोधपुर ....कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पदमपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस-यू, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपी 1. श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री गोरधनराम, उम्र 45 वर्ष, जाति बिश्नोई, निवासी गांव पड़ियाल, पुलिस थाना भोजासर, जिला फलोदी, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना फलोदी, जिला फलोदी एवं 2. श्री भैराराम पुत्र श्री हेमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव मेघवालों की ढाणीयां चाखू तहसील घन्टीयाली, जिला फलोदी हाल हनुमान मंदिर रोड़, इंदिरा कॉलोनी फलोदी, जिला फलोदी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 794 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 861-64 दिनांक 12.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर, 3.पुलिस अधीक्षक, फलोदी, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो (एस-यू) जोधपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Paras Soni **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/06/2025 20:29:24

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)